न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (SDO) पीपाड शहर (जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमति कंचन राठौड (आर.ए.एस.)

राजस्व वादपत्र संख्या – 04 / 2023

वादी **बनाम** **प्रतिवादी**

बाबुलाल पुत्र भेराराम
जाति मेघवाल निवासी
ग्राम कोसाणा तहसील
पीपाड शहर जिला जोधपुर।

तहसीलदार पीपाड शहर
तहसील पीपाड शहर
जिला जोधपुर राज.।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. पृथ्वीराज चौहान, वादी की ओर से
2. तहसीलदार पीपाड शहर प्रतिवादी स्वंय।

आदेश दिनांक :– 21.06.2023

वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कोसाणा पटवार क्षैत्र कोसाणा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में वादी व अन्य की सहखातेदारीशुदा, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नबंर 906 क्षैत्रफल 2.2167 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय व खसरा नबंर 949 क्षैत्रफल 3.8913 हेक्टेयर किस्म बारानी तृतीय कुल खसरें 02 कुल क्षैत्रफल 6.1080 हेक्टेयर कृषि भूमि आई हुई है जो खाता संख्या नया 286 व पूराना 310 पर इन्द्राजशुदा है। उक्त खसरें की कृषि भूमि को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा सबूत में नकल जमाबंदी संम्वत 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। ग्राम कोसाणा पटवार क्षैत्र कोसाणा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में वादी व अन्य की सहखातेदारीशुदा, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नबंर 908 / 4 क्षैत्रफल 2.1681 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कृषि भूमि आई हुई है जो खाता संख्या नया 287 व पूराना 311 पर इन्द्राजशुदा है। उक्त खसरें की कृषि भूमि को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा सबूत में नकल जमाबंदी संम्वत 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। ग्राम कोसाणा पटवार क्षैत्र कोसाणा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में वादी व अन्य की सहखातेदारीशुदा, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नबंर 805 क्षैत्रफल 6.5691 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

कृषि भूमि आई हुई है जो खाता संख्या नया 373 व पूराना 214 पर इन्द्राजशुदा है। उक्त खसरें की कृषि भूमि को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा सबूत में नकल जमाबंदी संम्वत 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। ग्राम शिवपुरा पटवार क्षेत्र कोसाणा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में वादी व अन्य की सहखातेदारीशुदा, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नबंर 1186 क्षेत्रफल 0.0162 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नबंर 1187 क्षेत्रफल 11.2775 हेक्टेयर किस्म चाही चतुर्थ कुल खसरें 02 कुल क्षेत्रफल 11.2937 हेक्टेयर कृषि भूमि आई हुई है जो खाता संख्या नया 81 व पूराना 499 पर इन्द्राजशुदा है। उक्त खसरें की कृषि भूमि को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा सबूत में नकल जमाबंदी संम्वत 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम महेन्द्र पुत्र भेराराम अंकित है जो कि त्रुटिपूर्ण नाम है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम बाबुलाल पुत्र भेराराम है। वादी के आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेस, परिवारकार्ड, पेनकार्ड, जाति प्रमाणपत्र, विद्युत बिल, बैंक डायरी, जॉब कार्ड में वादी का सही नाम बाबुलाल पुत्र भेराराम अंकित है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम भुलवश सेवन से घरेलु बोलचाल का नाम महेन्द्र अंकित हो गया जो कि मानवीय भूल है जिसको दुरूस्त करवानें का वादी अधिकारी है। वादी द्वारा दिनांक 16.12.2022 को तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष नाम शुद्दि के लिए आवेदन किया गया जिस पर वादी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह देते हुए आवेदन को लौटा दिया गया जिस पर श्रीमान न्यायालय के समक्ष वाद पेश करने के अलावा वादी के पास विकल्प नही है इसलिए वादी का उक्त वाद वास्तें सही नाम महेन्द्र पुत्र भेराराम के स्थान पर बाबुलाल पुत्र भेराराम किये जानें की घोषणा हेतु प्रस्तुत है। बिनाय दावा बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादी दिनांक 16.12.2022 को उत्पन्न हुआ जो लगातार उत्पन्न हो रहा है। इंस्तदुआ वादी निम्न प्रकार से है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्व इस आशय की घोषणा की डिक्री सादिर फरमायी जावे कि ग्राम कोसाणा पटवार क्षेत्र कोसाणा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर (राज.) की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नबंर 906, 949, 908/4, 805 कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम महेन्द्र पुत्र भेराराम के स्थान पर बाबुलाल पुत्र भेराराम घोषित किया जावे। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्व इस आशय की घोषणा की डिक्री सादिर फरमायी जावे कि ग्राम शिवपुरा पटवार क्षेत्र कोसाणा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि

खसरा नबंर 1186 व 1187 कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम महेन्द्र पुत्र भेराराम के स्थान पर बाबुलाल पुत्र भेराराम घोषित किया जावे। अन्य अनुतोष जो हित वादी हो वादी के पक्ष में अता फरमावें।

वादी का वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार पीपाड शहर ने जवाब मय दस्तावेज प्रस्तुत किया है व महेन्द्र पुत्र भैराराम के स्थान पर बाबुलाल पुत्र भैराराम किये जाने की अनुशंषा की हैं। वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी में सहखातेदार प्रभूराम के बयान न्यायालय हाजा में करवाये।

हमने वकील वादी की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् व अभिलेखो का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया एंव तहसीलदार पीपाड शहर की तथ्यात्मक रिपोर्ट/जवाब का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि वादी का सही नाम बाबूलाल पुत्र भेराराम है इसलिए वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड शहर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम कोसाणा पटवार क्षेत्र कोसाणा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नबंर 906, 949, 908/4, 805 कृषि भूमि तथा ग्राम शिवपुरा पटवार क्षेत्र कोसाणा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नबंर 1186 व 1187 कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड दुरूस्त फरमाया जाकर वादी का नाम महेन्द्र पुत्र भेराराम के स्थान पर बाबुलाल पुत्र भेराराम राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया जावें।

(कंचन राठौड)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर (SDO)
पीपाड शहर

आदेश आज खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर दिंनाक 21.06.2023 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

(कंचन राठौड)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर (SDO)
पीपाड शहर